क्षेत्र	अधिकारियों का पदनाम
पूर्वी क्षेत्र :	महा-प्रबन्धक, उप महा-प्रबन्धक (बिक्री), उप महा-प्रबन्धक (परिचालन), उप महा-प्रबन्धक (इलैक्ट्रोनिकी), मुख्य विमानन प्रबन्धक, उप महा-प्रबन्धक (लेखा), उप महा-प्रबन्धक (कार्मिक), उप महाप्रबन्धक (कलकत्ता), उप महा-प्रबन्धक (पटना), उप प्रबन्धक (गौहाटी), उप प्रबन्धक (दुर्गापुर), उप प्रबन्धक (रायपुर), उप प्रबन्धक (सिलीगुड़ी), उप प्रबन्धक (भुवनेश्वर), उप प्रबन्धक (जमशेदपुर) ।
पश्चिमी क्षेत्र :	उप महाप्रबन्धक (एल पी जी), क्षेत्र प्रबन्धक (नागपुर/भोपाल/अहमदाबाद/राजकोट) उपप्रबन्धक (नागपुर/भोपाल/अहमदाबाद/राजकोट), संयंत्र प्रबन्धक (राजकोट), संयंत्र प्रबन्धक (हजीरा) ।
दक्षिणी क्षेत्र :	महा-प्रबन्धक, उप-महा प्रबन्धक (एल पी जी), मुख्य-कार्मिक प्रबन्धक, उप महा-प्रबन्धक (परिचालन), उप महा-प्रबन्धक (बिक्री), उप महा-प्रबन्धक (वित्त), मुख्य-विमानन प्रबन्धक ।

बिजली के नकली सामान का उत्पादन

3410. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली की ट्यूबों और बल्बों का निर्माण करने वाली सिल्वेनिया लक्ष्मण तथा फिलिप्स जैसी कम्पनियों के नाम से दिल्ली में बड़ी पैमाने पर बिजली के नकली सामान का खुले आम उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि प्रमुख ब्रांड नामों का प्रयोग करके बिजली की ट्यूबों तथा बल्बों जैसी बिजली के नकली सामान का उत्पादन किया जा रहा है ।

(ख) सरकार ने भारतीय मानक अधिनियम ब्यूरो, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, व्यापार तथा पण्यवस्तु चिन्ह अधिनियम जैसे अनेक कानून बनाये हैं जिनमें व्यापार चिन्हों को जालसाजी करने, वस्तुओं पर नकली व्यापार चिन्ह लगाने, जिस वस्तु पर नकली व्यापार चिन्ह लगाया गया हो अथवा गलत विवरण दिया गया हो उसकी बिक्री करने और भारतीय मानक प्रमाणीकरण करने अथवा इसका नकली आभास कराने इत्यादि जैसे अपराधों के लिए दण्डात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था है ।

विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं को गैस एजेंसियों का आवंटन

3411. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस ऐजेंसियों के आवंटनार्थ विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं से क्रमशः इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार-